Ph: 0510-2471450
E-mail: conservatorjhansi@gmail.com

कार्यालयः वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, बुन्देलखण्ड वृत्त, उ०प्र०, झांसी।

पत्रांक– 323 /33–1 / दिनांक, जुलाई, 26 ,2019।

प्रतिलिपि– प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी वन प्रभाग झांसी को इस आशय से प्रेषित कि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0, लखनऊ द्वारा लगाई गई आपत्तियों का निराकरण कर सम्बन्धित समस्त अभिलेखों को अपनी संस्तुति सहित चार प्रतियों में इस कार्यालय मे उपलब्ध कराने का कष्ट करें

26-7-19

(ए0के0सिंह)
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी

July_19_sttl.

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 190 /11–सी– **FP/UP/Road/39827/2019**, लखनऊ, दिनांकः जुलाई 24 ,2019

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
बुन्देलखण्ड वृत्त,
झांसी।

विषयः– जनपद–झांसी में झांसी–बबीना–ललितपुर राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या–26 के किमी0 सं0–3 से 11 तक झासी हंसारी से खैलार की सीमा तक दोनों पटरी पर चौड़ीकरण/चार लेन में प्रभावित 14.80 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 945 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक–1471/81–2–2019–800(64)/2019, दिनांक 09.07.2019 एवं इस कार्यालय का पृष्ठांकन सं0–68/11–सी–FP/UP/Road/39827/2019, दिनांक 09.07.2019 तथा आपका पत्रांक–241/33–1, दिनांक 19.07.2019

महोदय,

उ0प्र0 शासन के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के द्वारा विषयांकित प्रकरण में की गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण आपने अपने उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 19.07.2019 के द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया है, जिसमें परीक्षणोपरान्त निम्नलिखित कमियाँ पायी गयीः–

1. आपके द्वारा अपने उपरोक्त संदर्भित पत्र में उ0प्र0 शासन की आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण टैबुलर फार्म में नही किया गया है।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी ने अपने पत्रांक–267/15–1, दिनांक 19.07.2019 में उ0प्र0 शासन की आपत्ति सं0–1 एवं 2 के निराकरण के प्रति उत्तर में स्पष्ट उत्तर नही दिया गया है। उनके द्वारा गोलमोल जवाब दिया गया है, जोकि गलत है।
3. उ0प्र0 शासन की आपत्ति सं0–3 के निराकरण के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किये गये वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के उल्लंघन के फलस्वरूप वर्ष 2016–17 में एच0–2 केस जारी किया गया है, किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी द्वारा न तो अपनी अंतिम रिपोर्ट लगाते हुये न्यायालय को संदर्भित किया गया है और न ही एच0–2 केस कम्पाउन्ड करने की कार्यवाही की गयी है। प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी द्वारा इस सम्बन्ध में कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी है।

अतः प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के उल्लंघन के फलस्वरूप निर्गत एच0–2 केस को कम्पाउन्ड करते हुये नियमानुसार कार्यवाही कर, शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा की गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण एवं उससे सम्बन्धित समस्त अभिलेख संस्तुति सहित तीन प्रतियों में तत्काल प्रेषित करने का कष्ट करें।

कार्यालय क्षेत्रीय निदेशक/वन संरक्षक
सा0वा0 बुन्देलखण्ड वृत्त झाँसी.
पत्र संख्या 25
फाईल संख्या 33-1
25-7-2019

भवदीय

24/7

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

<u>संख्या– 190 /11–सी–**FP/UP/Road/39827/2019**, दिनांकित।</u>

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी वन प्रभाग, झांसी।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड (भवन विंग), लो0नि0वि0, झांसी।

24/7

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

25/7/19